उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14, अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या : 1234–पें0एवंआर0–28/पाकालि/23–60–पी–98 टीसी–2023, दिनांक : 21 जुलाई, 2023

कार्यालय–ज्ञाप

एतद्द्वारा वित्त (सामान्य) अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या : 3/2016/सा–3–03/दस–2016–19/92 टी0सी0, दिनांक 13 जनवरी, 2016 तथा शासनादेश संख्या : 17/2022/आई/202175/2022/फा0नं0–10–22099/218/2020, दिनांक 17 अगस्त 2022 जिसके द्वारा नई पारिवारिक पेंशन स्कीम 1965 के अधीन देय पारिवारिक पेंशन के लाभों का विस्तारण के सम्बन्ध में दो पारिवारिक पेंशनों की देय अधिकतम दर/धनराशि की सीमा को पूर्व शासनादेशों के अनुक्रम में संशोधित कर तत्सम्बन्धी व्यवस्था/प्राविधान निर्गत किये गये है, को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों की सेवाओं में तत्काल प्रभाव से यथावत्/सम्पूर्णता में इस प्रतिबन्ध के साथ कि उक्त शासनादेश दिनांक 13.01.2016 तथा शासनादेश दिनांक 17.08.2022 से आच्छादित प्रकरणों में आदेश निर्गमन की तिथि के पूर्व अवधि का कोई ऐरियर देय नहीं होगा, अंगीकृत किया जाता है।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या : 1234–पें0एवंआर0–28/पाकालि/23 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/केस्को–कानपुर।
4. समस्त निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/स्तर–II), उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), शक्ति भवन, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
11. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को 16 जून, 2023 को सम्पन्न 192वीं बैठक के मद संख्या–192(51) के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

आज्ञा से,
21/07/23
(शमशाद अहमद)
अपर सचिव (तृतीय)

संख्या-3/2016/सा-3-03/दस-2016-19/92 टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3 लखनऊ: दिनॉक: 13 जनवरी, 2016

विषय-: नई पारिवारिक पेंशन स्कीम 1965 के अधीन देय पारिवारिक पेंशन के लाभों का विस्तरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-सा-3-296/दस-93-19/92, दिनॉक 12 मार्च, 1993 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में यह व्यवस्था की गयी थी कि यदि पति-पत्नी दोनों ही सरकारी सेवक हों और दोनों की मृत्यु हो जाती है तो मृतकों के लाभार्थी बच्चों को दो पारिवारिक पेंशन देय होगी किन्तु जहॉं दोनों पारिवारिक पेंशनें बढ़ी हुयी दर पर स्वीकृत की गयी है वहॉं उनके योग की अधिकतम सीमा रू0 2500/- प्रतिमाह, जहॉं एक पारिवारिक पेंशन बढ़ी हुयी दर पर तथा दूसरी पारिवारिक पेंशन सामान्य दर पर अनुमन्य हो तो भी उनके योग की अधिकतम सीमा रू0 2500/- प्रतिमाह तथा जहॉं दोनों पारिवारिक पेंशनें सामान्य दर पर अनुमन्य हो, वहॉं उनके योग की अधिकतम सीमा रू0 1250/- प्रतिमाह होगी।

2- दिनॉक 01-01-2006 से पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि रू0 3500/- प्रतिमाह अनुमन्य है। अत: दो पारिवारिक पेंशन मिलने की दशा में निर्धारित उपर्युक्त अधिकतम सीमा में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है। इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने दो पारिवारिक पेंशनों की अधिकतम

--2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

धनराशि निम्न प्रकार संशोधित करने के आदेश प्रदान किये है:-

(1)- यदि दोनों पारिवारिक पेंशन बढ़ी हुयी दरों पर अनुमन्य की गयी हो, तो उनका योग रू0 15000/- प्रतिमाह से अधिक नही होगा।

(2)- जहाँ एक पारिवारिक पेंशन बढ़ी हुयी दर पर तथा दूसरी पारिवारिक पेंशन सामान्य दर पर स्वीकृत की गयी हो, वहाँ भी दोनों पारिवारिक पेंशन का योग रू0 15,000/- प्रतिमाह से अधिक नही होगा ।

(3)- जहाँ दोनों पारिवारिक पेंशनें सामान्य दर पर स्वीकृत की गयी हो वहाँ उनका योग रू0 9,000/- प्रतिमाह से अधिक नही होगी।

3- उपर्युक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। इस व्यवस्था से ऐसे सभी लाभार्थी आच्छादित होंगे जिन्हें सम्प्रति दो पारिवारिक पेंशनें अनुमन्य हैं चाहे दिवंगत सरकारी सेवकों (पति एवं पत्नी) की मृत्यु कभी भी हुई हो।

4- ऐसे मामले जिनमें दो पारिवारिक पेंशनें पूर्व में स्वीकृत हुयी थी परन्तु इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि को एक पारिवारिक पेंशन अथवा दोनों पारिवारिक पेंशनें बन्द हो चुकी हैं, इन आदेशों के अन्तर्गत पुनरूद्घाटित नहीं किये जायेंगे। इन आदेशों के अन्तर्गत एरियर का भुगतान अनुमन्य नहीं होगा।

5- इन आदेशों के अन्तर्गत दो पारिवारिक पेंशनों का भुगतान सम्बन्धित कोषागारों द्वारा स्वतः किया जायेगा तथा इस हेतु अलग से पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता से आवेदन की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव, वित्त।

--3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-3/2016/सा-3-03(1)/दस-2016-19/92 टी0सी0, तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
2- समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- राज्यपाल, सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
4- विधान सभा / विधान परिषद, सचिवालय।
5- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- समस्त मण्डलीय, अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
8- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
9- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

आज़ादी का अमृत महोत्सव
हर घर तिरंगा

संख्या-17/2022 /आई/202175/2022/फा0नं0-10-22099/218/2020

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 17 अगस्त, 2022

विषय-नई पारिवारिक पेंशन स्कीम 1965 के अधीन देय पारिवारिक पेंशन के लाभों का विस्तरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3/2016/सा-3-03/दस-2016-19/92टी0सी0, दिनांक 13 जनवरी, 2016 में दो पारिवारिक पेंशनों की अधिकतम धनराशि निम्न प्रकार से संशोधित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं:-

(1) यदि दोनों पारिवारिक पेंशन बढ़ी हुई दरों पर अनुमन्य की गयी हो, तो उनका योग रू0 15000/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा।

(2) जहां पारिवारिक पेंशन बढ़ी हुई दर पर तथा दूसरी पारिवारिक पेंशन सामान्य दर पर स्वीकृत की गयी हो, वहां भी दोनों पारिवारिक पेंशन का योग रू0 15000/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा।

(3) जहां दोनों पारिवारिक पेंशनें सामान्य दर पर स्वीकृत की गयी हों, वहां उनका योग रू0 9000/- प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा।

2- दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि रू0 9000/- प्रतिमाह अनुमन्य है। अत: दो पारिवारिक पेंशन मिलने की दशा में उपर्युक्त निर्धारित अधिकतम धनराशि की सीमा में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है।

3- उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा दो पारिवारिक पेंशनों की अधिकतम धनराशि की सीमा को निम्नवत् संशोधित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं :-

(1) यदि दोनों पारिवारिक पेंशन बढ़ी हुई दरों पर अनुमन्य की गयी हों, तो उनका योग रू0 1,12,500/- प्रतिमाह (राज्य सरकार के अधीन उच्चतम वेतन रू0 2,25,000/- का 50 प्रतिशत होने के कारण) से अधिक नहीं होगा।

(2) जहां पारिवारिक पेंशन बढ़ी हुई दर पर तथा दूसरी पारिवारिक पेंशन सामान्य दर पर स्वीकृत की गयी हो, वहां भी दोनों पारिवारिक पेंशन का योग रू0 1,12,500/- प्रतिमाह (राज्य सरकार के अधीन उच्चतम वेतन रू0 2,25,000/- का 50 प्रतिशत होने के कारण) से अधिक नहीं होगा।

2/-

(3) जहां दोनों पारिवारिक पेंशनें सामान्य दर पर स्वीकृत की गयी हों, वहां उनका योग रू0 67,500/- प्रतिमाह (राज्य सरकार के अधीन उच्चतम वेतन रू0 2,25,000/- का 30 प्रतिशत होने के कारण) से अधिक नहीं होगा।

4- उपर्युक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। इस व्यवस्था से ऐसे सभी लाभार्थी आच्छादित होंगे, जिनको सम्प्रति दो पारिवारिक पेंशनें अनुमन्य हैं, चाहे दिवंगत सरकारी सेवकों (पति एवं पत्नी) की मृत्यु कभी भी हुयी हो।

5- ऐसे मामले जिनमें दो पारिवारिक पेंशनें पूर्व में स्वीकृत हुयी थीं परन्तु इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि को एक पारिवारिक पेंशन अथवा दोनों पारिवारिक पेंशनें बन्द हो चुकी हैं, इन आदेशों के अन्तर्गत पुनरूद्धाटित नहीं किये जायेंगे। इन आदेशों के अन्तर्गत एरियर का भुगतान अनुमन्य नहीं होगा।

6- इन आदेशों के अन्तर्गत दो पारिवारिक पेंशनों का भुगतान सम्बन्धित कोषागारों द्वारा स्वतः किया जायेगा तथा इस हेतु पृथक से पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता से आवेदन की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भवदीय,

प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव

<u>संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- उत्तर प्रदेश विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय, लखनऊ।
4- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- समस्त मण्डलीय अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
7- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
8- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव